

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प - उन्नेडा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उन्नेडा
व भू.अ.नि. गोपाडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरु / नायब
तहसीलदार रेलमगरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरु व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 155 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>नारायणगंज</u>	<u>155</u>	<u>रूपलाल पुत्र सोला</u> <u>जाति-तेली</u>	<u>रूपलाल पुत्र सोला</u> <u>जाति-तेली</u>

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक:- 306
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री रूपलाल पुत्र सोला तेली को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____